न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00123

रामस्वरूप आत्मज राधाकिशन उम्र 53 वर्ष जाति बैरागी निवासी ग्राम रानक्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रानक्याखेडी तहसील लाडपुरा में कुल 02 किता की रकबा 1.22 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि पर वादी का पिछले 40–50 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है और वह बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही खातेदार कृषक हो चुका है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थीय निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलन्दाजी नहीं करें और उक्त भूमि से वादी को बेदखल नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2020 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2020 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी पिछले 40—50 वर्षों से काबिज काश्त है । वादी अपीलान्ट बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही खातेदार कृषक हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम रानक्याखेडी तहसील लाडपुरा में स्थित है जिस पर अपीलान्ट पिछले 40—50 वर्षों से काबिज हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही खातेदार कृषक बन चुका है । राजस्व अभियान ग्राम कसार कैम्प में अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को एक प्रार्थना पत्र दिया । रेस्पोडेन्ट के द्वारा इस आराजी के अलावा अन्य आराजी आवंटित कर दी गई है परन्तु अपीलान्ट को इस आराजी का नियमन नहीं किया गया है और दावा दायर करने के निर्देश दिये गये । वर्तमान में अपीलान्ट को धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम के नोटिस नहीं दिये जा रहे हैं । परीक्षण न्यायालय में तहसीलदार के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है । अपीलान्ट की साक्ष्य का खण्डन नहीं हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि सरकारी आराजी पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2020 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादी के द्वारा सरकार के खिलाफ हक घोषणा का दावा यह कथन करते हुए पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा पिछले 40—50 वर्षों से चला आ रहा है । वे बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार हो चुके हैं । अतः उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावें ।

10. वादी ने अपने दावे के समर्थन में नकल खसरा परिवर्तनशील संवत् 2042, 2043, 2049, 2050, 2051, 2053, 2068 एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2066—69 पेश की हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2066—69 के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकार बजंड दर्ज है ।

11. वादी की ओर से बयान अनिल कुमार एवं रामस्वरूप कराये गये हैं ।

12. परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । वादी के द्वारा लम्बे समय से कब्जे के आधार पर सरकारी सिवायचक आराजी पर हक घोषणा का दावा पेश किया है जबकि सरकारी सिवायचक आराजी पर लम्बे समय से कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश नहीं किया जा सकता और न ही कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2020 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 30.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ॥

30/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/00123

रामस्वरूप आत्मज राधाकिशन उम्र 53 वर्ष जाति बैरागी निवासी ग्राम रानक्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—–प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2020 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 70/दावा/2013

रामस्वरूप आत्मज राधाकिशन उम्र 47 वर्ष जाति बैरागी निवासी ग्राम रानक्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—–प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 30.08.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री नरेन्द्र नन्दवाना एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 30.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

30/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा